

15-5-22 पञ्जावली आज पेश हुयी | वकील  
वादी अनुपस्थित | न्यायालय समय  
में रुक रुक कर बार बार आवाने  
लगवायी गयी | गाथो वकील वादी  
और गाथी स्वयं वादी उपस्थित  
है | अतः पञ्जावली सिविल प्रक्रिया  
संहिता के आदेश 9 नियम 3 (अदम  
दावरी अदम करवी) के तहत रकारिज  
की जाती है | पञ्जावली फौसल में  
शुमार है गम्बर से कम की जाकर  
दारियल दफ्तर है |

Up.  
सप जिला कलेक्टर  
घोथ का करवाडा

